I/109775/2023

मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10–03–2023 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री अरविन्द सिंह ह्याँकी, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एच0सी0 सेमवाल, सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, वन/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्रीमती अमनदीप कौर, अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री अखिलेश मिश्रा, उप सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री वी0 मुर्गेशन, अपर पुलिस महानिदेशक।
8. श्री के0एस0 नगलयाल, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल।
9. श्री निलेश भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ।
10. श्री मुख्तार मोहसिन, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड।
11. श्री नवनीत पाण्डेय, निदेशक, शहरी विकास विभाग।
12. श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
13. श्रीमती आशा पैन्युली, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
14. श्री पी0एस0 गर्ब्याल, अपर आयुक्त, आबकारी विभाग।
15. श्री अनिल पांगती, वरिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
16. श्री प्रवीण कुमार कटारिया, सड़क सुरक्षा अधिकारी, एन0एच0ए0आई0।
17. डॉ0 सुजाता सिंह, सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
18. श्री एम0एस0 मुंगनाथन, बीआरओ।
19. डॉ0 राकेश शर्मा, संयुक्त निदेशक एवं सदस्य लीड एजेंसी।
20. श्रीमती अमृता जायसवाल, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेंसी।
21. श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेंसी।
22. श्री पदमेन्द्र सिंह बर्त्वाल, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेंसी।
23. श्री अविनाश चौधरी, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेंसी।
24. श्री शिवा, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से–

1. श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।
2. श्री सुशील कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।

बैठक में सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष में 02 बैठकें होनी हैं, जिसके सापेक्ष वर्ष 2023 की यह प्रथम बैठक आहूत की जा रही है।

2. श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, लीड एजेंसी द्वारा विगत 05 वर्षों में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वर्षवार, जनपदवार, वाहन की श्रेणीवार, मार्ग के क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 24–05–2022 में दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। मा0 मंत्री जी के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

(1) वर्ष 2022 में राज्य में 1674 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें 1042 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 1613 व्यक्ति घायल हुए। इसी प्रकार वर्ष 2023 में माह फरवरी, 2023 तक कुल 131 वाहन दुर्घटनाओं में 144 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 181 व्यक्ति घायल हुए हैं।

75/2023

(2) जनपदवार विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2022 में देहरादून, उधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं नैनीताल में सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। पर्वतीय जनपदों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं टिहरी जनपद में हुयी हैं, इसके उपरान्त पौड़ी, उत्तरकाशी, चम्पावत सर्वाधिक दुर्घटना वाले पर्वतीय जनपद रहे।

(3) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर विगत वर्ष 2022 में 1674 दुर्घटनाओं में से 831 दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्र में एवं 843 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में घटित हुई हैं, जबकि मृतकों की संख्या के अनुसार शहरी क्षेत्र में 356 व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में 686 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(4) वाहन के श्रेणीवार प्रस्तुत विवरण के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक दुर्घटनायें कारों से (460) घटित हुई है, जबकि इसके उपरान्त मध्यम/भारी भार वाहन से 302 तथा दुपहिया वाहनों से 296 दुर्घटनायें घटित हुई।

(5) वर्ष 2022 में दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल 1674 दुर्घटनाओं में से 1281 दुर्घटनायें तीव्र गति अथवा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घटित हुई हैं।

(6) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कुल चिन्हित 165 ब्लैक स्पॉट में से 124 में दीर्घकालीन सुधार कर लिये गये हैं एवं अवशेष 41 स्थानों में से 16 पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में चिन्हित 2545 दुर्घटना संभावित स्थलों में से 1693 का सुधार किया गया है, अवशेष 852 पर कार्यवाही गतिमान है।

(7) एन0एच0ए0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी अधिकारिता क्षेत्र में 12 ब्लैक स्पॉट बचे हैं, जिन पर मार्ग चौडीकरण का कार्य गतिमान है। उक्त कार्य माह अगस्त, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(8) पुलिस विभाग द्वारा भी राज्य में 616 दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए, उन्हें संवेदनशीलता के आधार पर 03 श्रेणियों में रखा गया था और उक्त स्थलों की सूची लोक निर्माण विभाग को सुधार हेतु प्रेषित की गयी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उक्त 616 स्थलों में से 496 पर सुधार की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि अवशेष 120 पर कार्यवाही गतिमान है।

(9) लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रोड मार्किंग हेतु चिन्हित सड़कों में 64.15 प्रतिशत पर तथा रोड साईनेज हेतु चिन्हित सड़कों में 61.63 प्रतिशत पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(10) लोअर हायर की से अपर हायर की वाली सड़कों पर स्पीड कामिंग उपायों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल चिन्हित 3905 जंक्शन्स में से 1466 में ट्रैफिक कामिंग उपाय पूर्ण कर लिये गये हैं। इसी प्रकार क्रैश बैरियर हेतु चिन्हित 5693 किमी के सापेक्ष अभी तक 3368 किमी0 में क्रैश बैरियर लगाये जा चुके हैं। अवशेष 2000 किमी पर 02 वर्ष के भीतर क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(11) लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 1274 अभियन्ताओं में से अभी तक 803 को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विभिन्न संस्थाओं यथा–आई0आर0टी0ई0, फरीदाबाद, सी0आई0आर0टी0, पुणे आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

(12) गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य जन–मानस एवं स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा

के प्रति जागरूक किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये गये। वर्ष 2022–23 में परिवहन विभाग द्वारा लगभग 350 कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 88000 प्रतिभागियों को जागरूक किया गया।

(13) दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव कार्य में संलग्न आम जन मानस को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में फर्स्ट रेस्पोन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये, जिसके लिए प्रत्येक जनपद को रूपये 1.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी।

(14) परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य में ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा 10 स्थानों पर ए0एन0पी0आर0 लगाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार पुलिस विभाग/स्मार्ट सिटी द्वारा 34 जंक्शन पर 105 रेड लाईट वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरे, 11 स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरे एवं 597 सी0सी0टी0वी0 लगाये गये हैं। वाहनों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से अभी तक 38158 वाहनों में वी0एल0टी0 डिवाईस स्थापित किये जा चुके हैं।

(15) आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रत्येक संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में चालकों की ऑटोमेटेड परीक्षा हेतु टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में हरिद्वार एवं देहरादून में टेस्ट ट्रैक का निर्माण पूर्ण हो गया है, जबकि ऋषिकेश एवं कोटद्वार में निर्माण कार्य गतिमान है तथा काशीपुर हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी में भूमि विभाग को प्राप्त हो गयी है, अन्य स्थानों हेतु भूमि चयन गतिमान है।

(16) वाहनों की फिटनेस जांच आटोमेटिड रूप में किये जाने के दृष्टिगत देहरादून एवं रूद्रपुर में निजी क्षेत्र में 02 टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कोटद्वार एवं ऋषिकेश में उक्त लेन की स्थापना हेतु भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है। अन्य 16 स्थानों के लिए निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

(17) प्रवर्तन की कार्यवाही के अन्तर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 में माह जनवरी तक कुल 645058 वाहनों का चालान कर रूपये 52.02 करोड़ की धनराशि प्रशमन शुल्क के रूप में वसूले गये है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में कुल 445940 वाहनों का चालान कर 38.88 करोड़ प्रशमन शुल्क वसूला गया था। चालक लाईसेन्स के विरूद्ध प्राप्त 49525 संस्तुतियों के सापेक्ष 31496 लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

(18) घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में गुड समेरिटन योजना प्रारम्भ की गयी है, उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक 13 नेक नागरिकों को रूपये 1.60 लाख की धनराशि पुरूस्कार स्वरूप प्रदान की गयी है।

(19) शहरी विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर स्थापित ऐसे होर्डिंग्स/ऑब्जेक्ट, जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, के विरूद्ध ऑडिट कराया गया और बाधक पाये गये 1150 होर्डिंग्स/ऑब्जेक्ट में से 1024 को हटाया गया।

(20) बस स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा एवं सीसीटीवी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के

28 बस स्टेशन स्थापित है, उक्त बस स्टेशनों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि चिकित्सा सुविधा हेतु केवल वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स ही रखे गये हैं। सीसीटीवी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अभी तक 13 बस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाये गये हैं।

(21) पुलिस विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि मोटरयान कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से प्रशमन शुल्क की वसूली के साथ–साथ उनसे कम्यूनिटी सर्विस भी करायी जानी चाहिए, ताकि उनके द्वारा ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न की जा सके।

3. बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त मा0 परिवहन मंत्री जी के द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

(1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में नामित अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिभाग नहीं करते हुए, अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जो उचित नहीं है। भविष्य में नामित अधिकारियों द्वारा ही परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया जाये।

(2) कार्यदायी संस्थाओं के स्तर पर ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण, दुर्घटना संभावित क्षेत्र का सुधारीकरण, रोड़ साईनेज/रोड मार्किंग एवं क्रैश बैरियर लगाये जाने से सम्बन्धित जो कार्य अवशेष हैं, उनमें से चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थापित स्थलों पर सुधारीकरण की कार्यवाही यात्रा प्रारम्भ होने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये।

(3) आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल द्वारा भी सड़क सुधार के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाये और जहां सुधार की आवश्यकता हो, वहां यात्रा से पूर्व सुधार करा लिया जाये।

(4) श्री बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल है, अतः जोशीमठ में आयी आपदा के दृष्टिगत वहां के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जोशीमठ में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

(5) पुलिस विभाग द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग पर 77 अति संवेदनशील स्थल चिन्हित किये गये हैं, जहॉ क्रैश बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त स्थलों की सूची लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी जाए और लोक निर्माण विभाग द्वारा चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त स्थलों पर सुधारीकरण/क्रैश बैरियर लगाये जाने की कार्यवाही सम्पन्न कराई जाए।

(6) एन0एच0ए0आई0 द्वारा भी उनकी अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले और सुधारीकरण हेतु अवशेष 12 ब्लैक स्पॉट के सुधार की कार्यवाही यात्रा से पूर्व कर ली जाए।

(7) यद्यपि वर्ष 2022 में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग बराबर संख्या में दुर्घटनाएं हुई है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में जनहानि अधिक हुई है। अतः सड़कों में सुधार के अन्तर्गत मुख्य मार्गों के साथ–साथ सहायक मार्गों पर भी ध्यान दिया जाए।

(8) पुलिस विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में मोटरयान कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से प्रशमन शुल्क की वसूली के साथ–साथ कम्यूनिटी सर्विस कराये जाने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाए।

(9) मा0 मंत्री जी द्वारा इंगित किया गया कि राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षित यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा छोटा कैलाश यात्रा भी प्रारम्भ की जा रही है, अतः गढ़वाल मण्डल के साथ–साथ कुमाऊँ मण्डल में भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। अतः सभी अधिकारियों द्वारा मार्गों की दशा में सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जाये और मा0 मुख्यमंत्री जी के गडढ़ा मुक्त सड़क के मूल मंत्र पर शत–प्रतिशत कार्यवाही की जाये।

(10) जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से आहूत की जाए और जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जाए।

(11) गत बैठक के अवसर पर दुर्घटनाओं के आंकड़ों के एक ही पोर्टल पर संकलन के दृष्टिगत राज्य में आई–रैड साफ्टवेयर लागू किया गया था। उक्त पोर्टल की उपयोगिता तभी है, जब प्रत्येक दुर्घटना का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाए। अतः निर्देश दिये गये कि पुलिस, परिवहन, लो0नि0वि0 एवं चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य में घटित होने वाली सभी दुर्घटनाओं का डाटा आई–रैड पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। लीड एजेन्सी में कार्यरत सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा उक्त डाटा का परीक्षण/अनुश्रवण किया जाए।

(12) हमारी पहली प्राथमिकता यात्रियों की जान–माल की रक्षा करना होना चाहिए, इसलिए राज्य में दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास किये जाये। मा0 मंत्री जी द्वारा अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि चार धाम यात्रा के दौरान नशे का सेवन कर वाहन का संचालन करना, मोबाईल पर बात करना, तीव्र गति से वाहन चलाना, मार्ग पर जाम लगना आदि दुर्घटना के मुख्य कारण हैं। अतः दोनों मण्डलों के आयुक्तों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि चारधाम यात्रा के दौरान नशे का सेवन कर वाहन चालन पर पूर्ण अंकुश लगाया जायँ और चालक द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाये।

(13) यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत निर्देश दिये गये कि इस वर्ष ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड जारी करने की व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया जाये। चारधाम यात्रा में यदि अतिरिक्त बसों की आवश्यकता हो, तो उसके लिए व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर ली जाये।

(14) वाहन की फिटनेस की दशा में ध्यान दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन यात्रिक खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त न हो। अधिकारियों को यह प्रयास करने चाहिए कि राज्य में दुर्घटना की संभावना को न्यून किया जा सके, फिर भी यदि दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है, तो सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

(15) दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को प्रथम 48 घण्टे कैशलेस उपचार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था का परीक्षण कर लिया जाए और तद्नुसार सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(16) मा0 मंत्री जी द्वारा उपस्थित अधिकारियों का आह्वान किया गया कि सभी के प्रयासों से राज्य को दुर्घटना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

4. अन्त में, मा0 मंत्री एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: [illegible]:28:41

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्याः 297 /ix-1/ 2023/23/ix–1/2014
देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
12. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
13. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
14. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
15. पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल/कुमांऊ मण्डल जोन, उत्तराखण्ड।
16. प्रतिनिधि सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश, देहरादून।
17. रीजनल आफिसर, एन0एच0ए0आई0, 58/37, बलवीर रोड, डालनवाला, देहरादून।
18. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।